11.04.2017

आज पेश हुआ। अभियुक्तगण की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया है। राज्य की ओर से कोई तामीली रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी है, न ही थाना पिपरी की कोई ऐसी रिपोर्ट है कि साक्षी क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। राज्य के विद्वान् अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त थानाध्यक्षो को एक पत्र भेजना सुनिश्चित करें कि वे या तो तामीली करावें या न करा पाने की स्थिति में अपनी रिपोर्ट नियत तिथि से एक दिन पर्व जिला शासकीय अधिवक्ता के यहां पैरोकार के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में त्रुटि न करें अन्यथा थानाध्यक्ष यदि बिना तामीली के मुकदमें में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

ऐसी स्थिति में पत्रावली में दिनांक 28.04.2017 नियत की जाती है। नियत दिनांक को थानाध्यक्ष पिपरी साक्षी उपस्थित करावें या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आकर कारण स्पष्ट करें।

सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।

P.T.O.